राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 347/2015

मनमोहन शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर मण्डल, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 09.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि विभाग द्वारा दिनांक 23.03.2015 को डीपीसी करने के उपरांत जीव विज्ञान विषय के अध्यापकों की पदोन्नति सूची जारी की, जिसमें अपीलार्थी का नाम शामिल नहीं किया गया और अपीलार्थी से कनिष्ठ अध्यापकों का नाम सूची में शामिल किया गया।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को प्राध्यापक स्कूल शिक्षा हिन्दी पद की अर्हता रखने के कारण उसे विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन वर्ष 2007–08 की रिक्ति के विरूद्ध चयनोपरांत पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है। अतः अपीलार्थी द्वारा पदोन्नति का परित्याग करने संबंधी सूचना विभाग में उपलब्ध नहीं होने के कारण इन्हें प्राध्यापक जीव विज्ञान पर हेतु निर्मित पात्रता में सम्मिलित नहीं किया जा सका तथा विभाग के द्वारा अपीलार्थी के पदोन्नति परित्याग की स्थिति ध्यान में आने पर नियमानुसार इनके कनिष्ठ के समान इन्हें प्राध्यापक जीव विज्ञान पद की वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के प्रति डीपीसी के माध्यम से चयन किया जा चुका है।
3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से दिये गये जवाब को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी को रिव्यू–डीपीसी के द्वारा वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध प्राध्यापक, जीव विज्ञान के पद पर पदोन्नति की जा चुकी है।
5. अतः उपरोक्त जवाब को दृष्टिगत रखते हुए इस अपील में अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष अपीलार्थी को प्राप्त हो चुका है। अतः यह अपील निरर्थक होने जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)